TCS से 600 करोड़ टैक्स डिमांड मामले में आदेश को चुनौती देगा आयकर! ट्रिब्यूनल ने खारिज की है मांग

TCS tax claim : भारत का कर विभाग टीसीएस टैक्स क्लेम के खिलाफ ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दे सकता है. आयकर ने ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) एडजस्टमेंट मामले में जांच की थी.

आयकर (आईटी) विभाग हाल के ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देना चाहता है, जिसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के पक्ष में 600 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स डिमांड को खारिज करते हुए फैसला सुनाया था. मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने ईटी को बताया कि आयकर विभाग ने ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) एडजस्टमेंट पर टीसीएस की जांच की थी और टैक्स डिमांड नोटिस भेजा था.

आयकर विभाग ने टीसीएस की ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) एडजस्टमेंट की जांच की थी. ताकि यह पता चल सके कि क्या उसके संबंधित वेंचर्स के साथ लेनदेन एक दूरी पर थे और क्या टीसीएस ब्रांड शुल्क पर टैक्स के लिए उत्तरदायी था. एसेसमेंट ईयर FY14-15 के लिए एसेसमेंट ऑफिसर 18,752 करोड़ की मूल्यांकन आय पर पहुंचे थे.

ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (TPO) का विचार था कि करदाता को प्रौद्योगिकी उद्योग में चार बड़े ब्रांड्स में से एक माना जाता है और यह एक बहुत शक्तिशाली ब्रांड है. वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड का मूल्य 8.2 बिलियन डॉलर आंका गया था. इसके अनुसार टीपीओ ने 1,187.06 करोड़ के एडजस्टमेंट पर पहुंचने के लिए टीसीएस सेवाओं का उपयोग करके एई के जरिए हासिल रेवेन्यू पर 2.9% रॉयल्टी लागू की.

हालांकि, टीसीएस ने तर्क दिया कि ब्रांड कानूनी रूप से टाटा संस के स्वामित्व में है और उसे ब्रांड के लिए शुल्क लेने का कोई अधिकार नहीं है. टीसीएस ने यह भी प्रस्तुत किया कि वह एई के साथ जिस रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को फॉलो करता है, उसमें ब्रांड रॉयल्टी पारिश्रमिक भी शामिल है और कोई अतिरिक्त शुल्क या रॉयल्टी की आवश्यकता नहीं है.

बाद में टीसीएस ने आयकर आयुक्त (सीआईटी) अपील के समक्ष अपील की, जिस पर जिन्होंने सॉफ्टवेयर और परामर्श के प्रावधान के लिए किए गए ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) एडजस्टमेंट और ब्रांड रॉयल्टी शुल्क के लिए किए गए एडजस्टमेंट को हटा दिया. मामले के जानकारों के अनुसार मामले में अब आयकर विभाग ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.

(Source: Economic Times)